तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लालचन्द बनाम शंकर रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 91/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांटगण/आवेदकगण उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को दिनांक 13.06.2024 को जारी रजि0 नोटिस की डाक रशीद व ट्रेक कन्साइनमेंट रिपोर्ट पेश होकर शामिल पत्रावली है। ट्रेक रिपोर्ट अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को नोटिस डिलीवर्ड हो चुका है। बावजूद रजि0 तामिल के इनकी ओर से कोई उपस्थित नही। तत्पश्चात् वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र रिव्यू/पुनर्विलोकन में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि न्यायालय में दिनांक 16.10.2023 को प्रस्तुत अपील संख्या 1195/2023 अं0 धारा 75 में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा बिना अपीलांट से सम्पर्क किये तथा बिना किसी विधिक राजीनामा को आधार बनाकर अपील पर विड्रो का नोट लगाकर अपीलांट की अपील खारिज करवा ली गई। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र रिव्यु स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2024 अपील संख्या 1195/2023 बउनवानी लालचंद बनाम शंकर वगै. का रिव्यू कर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना प्रार्थनीय है। वकील अपीलांट की बहस तथा पत्रावली में अंकित तथ्यों व सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.10.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 1195/2023 बउनवानी लालचन्द बनाम शंकर में अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रविकुमावत का वकालतनामा पेश किया हुआ है तथा दिनांक 20.02.2024 को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर पक्षकारो के मध्य राजीनामा होने तथा पत्रावली में कोई कार्यवाही नही चाहने व विड्रो करने हेतु अपने हस्ताक्षर किये। न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2024 को आदेशिका पर वकील अपीलांट के अंकन पर पत्रावली को विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान किये। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदकगण का रिव्यू/पुनर्विलोकन आवेदन सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। **संभागीय आयुक्त,** **सीकर**	